

न्यायालय : न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट (म0प्र0)
(समक्ष : डी.एस.मण्डलोई)

आप. प्रक. क्र.—533 / 2012

संस्थित दिनांक—29.06.2012

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र बैहर,
जिला—बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — अभियोजन

विरुद्ध

1. बस्ताराम पिता मिस्तर यादव, उम्र 22 साल, जाति अहीर,
निवासी किडकाटोला सीताडोंगरी थाना बैहर जिला बालाघाट (म.प्र.)
2. मिस्तर यादव पिता रामा यादव, उम्र 40 साल, जाति अहीर,
निवासी किडकाटोला सीताडोंगरी थाना बैहर जिला बालाघाट (म.प्र.)(पूर्व निर्णीत)
3. रामा पिता दादु यादव, उम्र 70 साल, जाति अहीर,
निवासी किडकाटोला सीताडोंगरी थाना बैहर जिला बालाघाट (म.प्र.)(पूर्व निर्णीत)

— — — — — आरोपीगण

— :: निर्णय :: —

(आज दिनांक 28 / 01 / 2015 को घोषित किया गया)

(01) आरोपी बस्ताराम के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा—294, 323, 324, 506 (भाग—2) एवं आरोपी मिस्तर व रामा यादव के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 323 का आरोप है कि आरोपी बस्ताराम ने दिनांक 27.05.2012 को रात्रि के 08:00 बजे, माखनसिंह के घर के सामने रोड किनारे किडकाटोला सीताडोंगरी आरक्षी केन्द्र बैहर में लोकस्थान पर फरियादी नीरज यादव को अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया एवं आरोपी बस्ताराम, मिस्तर व रामा यादव ने श्रीमती मुन्नीबाई के साथ मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की तथा

आरोपी बस्ताराम ने नीरज यादव को धारधार कुल्हाड़ी से मारकर स्वेच्छया उपहति कारित की व जान से मारने की धमकी देकर संत्रास कारित कर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

(02) अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी नीरज यादव ने दिनांक 27.05.2012 को आरक्षी केन्द्र बैहर में इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि दिनांक 27.05.2012 को रात्रि के 08:00 बजे वह माखन सिंह के घर सामने खड़ा था उसी समय बस्ताराम यादव आया और उसे माँ-बहन की गन्दी-गन्दी गालिया देते हुये बोला कि वह उसके मकान सामने से बार-बार क्यों निकलता है और कुल्हाड़ी से उसके सिर पर मार दिया। हल्ला सुनकर उसकी माँ आयी और बोली कि उसके लड़के को क्यों मारा तो बस्ताराम, मिस्तर तथा रामा यादव ने उसके तथा उसकी माँ के साथ हाथ मुक्के से मारपीट की। फरियादी की रिपोर्ट पर आरोपीगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक 79/12 अन्तर्गत धारा 294, 323, 506(बी), 34 भा.दं.वि. की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कर आरोपीगण को गिरफ्तार कर आवश्यक विवेचना पूर्ण कर आरोपीगण के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 294, 323, 324, 506(बी), 34 के अन्तर्गत यह अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया।

(03) आरोपी बस्ताराम को मेरे पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 294, 323, 324, 506 (भाग-2) एवं आरोपी मिस्तर यादव व रामा यादव को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 323 का आरोप-पत्र विरचित कर पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपीगण ने अपराध करना अस्वीकार किया तथा विचारण चाहा।

(04) आरोपीगण तथा फरियादी के मध्य आपसी राजीनामा हो जाने से आरोपी बस्ताराम को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 294, 323, 506(भाग-2) एवं आरोपी मिस्तर यादव व रामा यादव को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 323 के आरोप में दोषमुक्त किया गया तथा आरोपी बस्ताराम पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 324 के आरोप में विचारण किया जा रहा है।

(05) आरोपी बस्ताराम का बचाव है कि वह निर्दोष हैं, फरियादी ने रंजिश वश

पुलिस से मिलकर उसके विरुद्ध झूठी रिपोर्ट पंजीबद्ध कराकर उसे झूठा फंसाया है।

(06) आरोपी के विरुद्ध अपराध प्रमाणित पाये जाने के लिए निम्नलिखित बिन्दु विचारणीय है :-

(अ) क्या आरोपी बस्ताराम ने दिनांक 27.05.2012 को रात्रि के 08:00 बजे, माखनसिंह के घर के सामने रोड किनारे किडकाटोला सीताडोंगरी आरक्षी केन्द्र बैहर में नीरज को धारधार लोहे की कुल्हाड़ी से मारकर स्वेच्छया उपहति कारित की ?

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

(07) अभियोजन साक्षी/फरियादी नीरज (अ.सा. 3) का कहना है कि दिनांक 27.05.2012 को आरोपी से उसका विवाद हो गया था और झूमाझपटी में वह पत्थर पर गिर गया था जिससे उसे चोट आई थी। आरोपीगण के विरुद्ध उसने रिपोर्ट लेखबद्ध कराई थी, जो प्रदर्श पी-03 है। पुलिस ने उसकी निशादेही पर घटनास्थल का मौका नक्शा तैयार किया था, जो प्रदर्श पी-04 है। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर भी साक्षी ने इस बात से स्पष्ट इन्कार किया है कि आरोपी बस्ताराम ने उसे कुल्हाड़ी से मारकर चोट पहुंचाई और साक्षी ने इस बात से भी स्पष्ट इन्कार किया है कि उसने पुलिस को प्रदर्श पी-05 का कथन दिया था तथा प्रतिपरीक्षण में भी साक्षी ने स्वीकार किया है कि उसने पुलिस को प्रदर्श पी-03 में कुल्हाड़ी से मारने वाली बात नहीं लिखाई थी और प्रदर्श पी-04 पर हस्ताक्षर उसने थाने पर ही किये थे। सिर में चोट लामाझुमी से पत्थर पर गिरने के कारण आई थी।

(08) अभियोजन साक्षी/विवेचनाकर्ता पूरन लिल्हारे (अ.सा. 5) का कहना है कि दिनांक 28.05.2012 को उसे अपराध क्रमांक 79/12 अन्तर्गत धारा 294, 323, 506बी, 34 की केश डायरी विवेचना हेतु प्राप्त हुई थी। विवेचना के दौरान उसने फरियादी की निशादेही पर घटनास्थल का मौका नक्शा प्रदर्श पी-04 तैयार किया था। दिनांक 04.06.2012 को आरोपी बस्ताराम से एक छोटी कुल्हाड़ी, जिस पर लोहे का

फल लगा हुआ था एवं एक लड़की गवाहों के समक्ष जप्त कर जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-07 तैयार किया था। आरोपी मिस्टर यादव एवं रामा यादव से एक बांस की लकड़ी गवाहों के समक्ष जप्त कर जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-08 एवं 09 तैयार किया था। आरोपीगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-10, 11, 12 तैयार किया था। फरियादी नीरज एवं साक्षी देवेन्द्र, माखनसिंह, मुन्नीबाई तथा सुखचैन के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे।

(09) अभियोजन साक्षी मुन्नीबाई (अ.सा. 4) का कहना है कि घटना 27.05.2012 की ग्राम किडकाटोला की है। आरोपीगण से उसके लड़के का विवाद हो गया था, जिसमें झूमा-झपटी से वह पत्थर पर गिर गया था और उसके सिर पर चोट आई थी। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर भी साक्षी ने इस बात से स्पष्ट रूप से इन्कार किया है कि आरोपी बस्ताराम ने नीरज को कुल्हाड़ी से मारकर चोट पहुंचाई। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि घटना उसके सामने नहीं हुई और न ही उसने पुलिस को कुल्हाड़ी से मारने वाली बात बतायी थी।

(10) अभियोजन साक्षी देवेन्द्र (अ.सा. 1) एवं साक्षी माखन (अ.सा. 2) का कहना है कि घटना के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। अभियोजन द्वारा साक्षियों को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर भी साक्षियों ने इस बात से स्पष्ट रूप से इन्कार किया है कि आरोपी बस्ताराम ने नीरज को कुल्हाड़ी से मारकर चोट पहुंचाई।

(11) आरोपी बस्ताराम एवं आरोपी बस्ताराम के अधिवक्ता का बचाव है कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षियों ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया। अभियोजन द्वारा साक्षियों को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर भी साक्षियों ने अभियोजन का आंशिक मात्र भी समर्थन नहीं किया है। विवेचनाकर्ता पूरन लिलहारे (अ.सा. 5) के कथनों का अभियोजन द्वारा प्रस्तुत स्वतंत्र साक्षियों ने आंशिक मात्र भी समर्थन नहीं किया है तथा साक्षियों के कथनों का प्रतिपरीक्षण में भी खण्डन होने से अभियोजन का प्रकरण सन्देहस्पद है। अतः सन्देह का लाभ आरोपी को दिया जाये।

(12) आरोपी बस्ताराम एवं आरोपी बस्ताराम के अधिवक्ता के बचाव पर विचार किया गया।

(13) अभियोजन साक्षी/फरियादी नीरज (अ.सा. 3) का कहना है कि दिनांक 27.05.2012 को आरोपी से उसका विवाद हो गया था और झूमाझपटी में वह पत्थर पर गिर गया था जिससे उसे चोट आई थी। आरोपीगण के विरुद्ध उसने रिपोर्ट लेखबद्ध कराई थी, जो प्रदर्श पी-03 है। पुलिस ने उसकी निशादेही पर घटनास्थल का मौका नक्शा तैयार किया था, जो प्रदर्श पी-04 है। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर भी साक्षी ने इस बात से स्पष्ट इन्कार किया है कि आरोपी बस्ताराम ने उसे कुल्हाड़ी से मारकर चोट पहुंचाई और साक्षी ने इस बात से भी स्पष्ट इन्कार किया है कि उसने पुलिस को प्रदर्श पी-05 का कथन दिया था तथा प्रतिपरीक्षण में भी साक्षी ने स्वीकार किया है कि उसने पुलिस को प्रदर्श पी-03 में कुल्हाड़ी से मारने वाली बात नहीं लिखाई थी और प्रदर्श पी-04 पर हस्ताक्षर उसने थाने पर ही किये थे। सिर में चोट लामाझुमी से पत्थर पर गिरने के कारण आई थी।

(14) अभियोजन साक्षी/विवेचनाकर्ता पूरन लिल्हारे (अ.सा. 5) का कहना है कि दिनांक 28.05.2012 को उसे अपराध क्रमांक 79/12 अन्तर्गत धारा 294, 323, 506बी, 34 की केश डायरी विवेचना हेतु प्राप्त हुई थी। विवेचना के दौरान उसने फरियादी की निशादेही पर घटनास्थल का मौका नक्शा प्रदर्श पी-04 तैयार किया था। दिनांक 04.06.2012 को आरोपी बस्ताराम से एक छोटी कुल्हाड़ी, जिस पर लोहे का फल लगा हुआ था एवं एक लड़की गवाहों के समक्ष जप्त कर जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-07 तैयार किया था। आरोपी मिस्टर यादव एवं रामा यादव से एक बांस की लकड़ी गवाहों के समक्ष जप्त कर जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-08 एवं 09 तैयार किया था। आरोपीगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-10, 11, 12 तैयार किया था। फरियादी नीरज एवं साक्षी देवेन्द्र, माखनसिंह, मुन्नीबाई तथा सुखचैन के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे।

(15) अभियोजन साक्षी मुन्नीबाई (अ.सा. 4) का कहना है कि घटना 27.05.2012 की ग्राम किडकाटोला की है। आरोपीगण से उसके लड़के का विवाद हो गया था, जिसमें झूमा-झपटी से वह पत्थर पर गिर गया था और उसके सिर पर चोट आई थी। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर भी साक्षी ने इस बात से

स्पष्ट रूप से इन्कार किया है कि आरोपी बस्ताराम ने नीरज को कुल्हाड़ी से मारकर चोट पहुंचाई। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि घटना उसके सामने नहीं हुई और न ही उसने पुलिस को कुल्हाड़ी से मारने वाली बात बतायी थी।

(16) अभियोजन साक्षी देवेन्द्र (अ.सा. 1) एवं साक्षी माखन (अ.सा. 2) का कहना है कि घटना के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। अभियोजन द्वारा साक्षियों को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर भी साक्षियों ने इस बात से स्पष्ट रूप से इन्कार किया है कि आरोपी बस्ताराम ने नीरज को कुल्हाड़ी से मारकर चोट पहुंचाई।

(17) अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षी/फरियादी नीरज (अ.सा. 3) एवं मुन्नीबाई (अ.सा. 4), देवन्द्र (अ.सा. 1), माखन (अ.सा. 2) के कथनों में एवं विवेचनाकर्ता पूरन लिल्हारे (अ.सा. 5) के कथनों में तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट में गम्भीर विरोधाभास है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षी नीरज (अ.सा. 3), मुन्नीबाई (अ.सा. 4), देवन्द्र (अ.सा. 1), माखन (अ.सा. 2) को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर भी साक्षियों द्वारा अभियोजन का समर्थन नहीं करने से आरोपी बस्ताराम ने दिनांक 27.05.2012 को रात्रि के 08:00 बजे, माखनसिंह के घर के सामने रोड किनारे किडकाटोला सीताडोंगरी आरक्षी केन्द्र बैहर में नीरज को धारधार लोहे की कुल्हाड़ी से मारकर स्वेच्छया उपहति कारित की। यह विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है।

(18) उपरोक्त साक्ष्य की विवेचना एवं निष्कर्ष के आधार पर अभियोजन अपना मामला युक्ति-युक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है कि आरोपी बस्ताराम ने दिनांक 27.05.2012 को रात्रि के 08:00 बजे, माखनसिंह के घर के सामने रोड किनारे किडकाटोला सीताडोंगरी आरक्षी केन्द्र बैहर में नीरज को धारधार लोहे की कुल्हाड़ी से मारकर स्वेच्छया उपहति कारित की। अभियोजन का प्रकरण सन्देहस्पद प्रतीत होता है। अतः सन्देह का लाभ आरोपी को दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

(19) परिणाम स्वरूप आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 324 के आरोप में दोषसिद्ध न पाते हुए दोषमुक्त किया जाता है।

(20) प्रकरण में आरोपी पूर्व से जमानत पर है, उसके पक्ष में पूर्व के निष्पादित जमानत एवं मुचलके भार मुक्त किये जाते हैं।

(21) प्रकरण में जप्तशुदा कुल्हाड़ी एवं बांस की लकड़ी मूल्यहीन होने से विधिवत् नष्ट की जावे। अपील होने पर माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार सम्पत्ति का निराकरण किया जावे।

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर
खुले न्यायालय में घोषित किया गया ।

मेरे बोलने पर टंकित
किया गया ।

(डी.एस.मण्डलोई)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
बैहर, जिला बालाघाट (म0प्र0)

(डी.एस.मण्डलोई)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
बैहर जिला बालाघाट (म0प्र0)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)